



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50603

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6821/2026

प्रवेश कुमार और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: पीयूष कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/जिलाधिकारी, एटा और प्रत्यर्थी संख्या 3/उप-जिलाधिकारी, तहसील अलीगंज, जिला एटा को प्रत्यर्थी संख्या 4/मनोज यादव को याचिकाकर्ता के गाटा संख्या 629 से होकर चक मार्ग बनाने से रोकने का निर्देश दिया जाए।
2. अभिलेख के अवलोकन तथा याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए अनुतोष से यह न्यायालय इस मत का है कि याचिकाकर्ता द्वारा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष मांगा गया है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता के पास सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार उपलब्ध है।
3. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता को सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

12 मार्च, 2026

शकलैन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।